आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–31 / 2023

07.08.2023
17/08/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरस्वती देवी एवं अन्य ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित।

श्रीमती सरस्वती देवी पूर्व मुखिया सहित कुल–74 लोगों ने अपना शिकायत–पत्र दिनांक–02.03.2023 को भेजा था, जिसमें इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम–टोंगरा, प्रखण्ड–हुसैनाबाद के सभी शिकायतकर्ताओं को माह सितम्बर, 2022 से माह फरवरी, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि कुछ लोगों को माह सितम्बर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक का दोनों में से एक ही राशन दिया गया है एवं सभी कार्डधारियों से अंगूठा लगवा लिया गया है तथा माह जनवरी एवं फरवरी, 2023 का राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायतकर्ताओं ने राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, अनुज्ञप्ति सं0–45 / 1985 के विरूद्ध कई गंभीर आरोप भी लगाये गये हैं। इस बीच आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने आयोग को समर्पित अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा पूरे मामले की जाँच कराई गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा पत्रांक–913 दिनांक–07.07.2023 के माध्यम से समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय स्तर पर मामले की जाँच कराई गई, जिसमें यह बात संज्ञान में आई है कि कुल–74 शिकायतकर्ताओं में से 03 शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से इस बात को माना है कि उन्होंने शिकायत नहीं की है एवं उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि शिकायतकर्ताओं में से 01 शिकायतकर्ता श्री लल्लू साव का राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, ग्राम–कोसी, अनुज्ञप्ति सं0–45 / 1985 से आपसी रंजिश होने के कारण शिकायत की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के लिखित प्रतिवेदन के बाद आयोग ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया। टेलीफोन के माध्यम से हुई बातचीत में शिकायतकर्ता का कहना है कि श्री बिहारी महतो को प्रलोभन देकर उन से लिखित आवेदन ले लिया गया, जबकि अन्य दो लोगों श्री संदीप कुमार एवं श्रीमती सरस्वती देवी ने लिख कर शिकायत वापस लेने की बात नहीं कही है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि हो सकता है कि राशन डीलर ने ही फर्जी हस्ताक्षर की हो या करवाई हो। आयोग प्रखण्ड आपूर्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के जाँच प्रतिवेदन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अक्षरशः स्वीकार नहीं कर सकता है।

आयोग उपायुक्त, पलामू को निर्देश देता है कि वे जिला स्तर के किसी पदाधिकारी के उपस्थिति में ग्राम–टोंगरा, प्रखण्ड–हुसैनाबाद के राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–45/1985 है, उसकी उपस्थिति में सभी लाभुकों विशेषकर सभी 74 शिकायतकर्ता की उपस्थिति में इस बात की जाँच करवाएँ कि शिकायतकर्ताओं ने जिस अवधि के राशन उपलब्ध नहीं होने की बात कही है, वह सत्य है या गलत। यदि सही पाया जाता है तो राशन डीलर के विरूद्ध उचित कार्रवाई के साथ सभी लाभुकों को जिस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस अवधि का सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराएँ एवं राशन डीलर के विरूद्ध न्यायोचित कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यदि जाँच में इस बात का प्रमाण मिलता हो कि राशन डीलर ने फर्जी हस्ताक्षर किया है या करवाया है, तो डीलर, श्री अलख देव सिंह के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज कराएँ। आयोग का यह मानना है कि कुल–74 शिकायतकर्ताओं में किन्हीं 04 शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली हो या डीलर के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात की हो, तो अन्य 70 शिकायतकर्ताओं के शिकायत को आयोग नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आयोग यह भी मानता है कि यदि आपसी रंजिश का मामला है, तो आयोग आपसी रंजिश के मामले की जाँच नहीं कर सकता। आयोग को सिर्फ यह देखना है कि लाभुकों को समय पर निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। यदि ससमय निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हो, तो आयोग का यह दायित्व है कि वो सभी लाभुकों को जिनकी हकमारी की गई है, उन्हें उनका हक मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ।

आयोग यह भी निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी लाभुकों खासकर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में की गई जाँच की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएँ एवं उसकी प्रति आयोग को भी भेजें। आयोग यह निर्देश देता है कि सुनवाई की अगली तिथि से पहले सभी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष वह वीडियो पेश किया जाना चाहिए। उस वीडियो में उन सभी या अधिकतम 74 शिकायतकर्ताओं का पक्ष दर्ज कराया जाना चाहिए, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की सुविधा के लिये शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति आज पुनः

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

उपलब्ध करा रहा है, ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सभी शिकायतकर्ता के नाम की जानकारी रहे।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

दिनांक–12.09.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।